पत्र संख्या- वा0अनु0 / परिपत्र / 2024–25 / 1566 / राज्य कर,

प्रेषक,

आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

अपर आयुक्त, राज्य कर, गौतमबुद्धनगर, जोन–नोएडा,
समस्त अपर आयुक्त ग्रेड–1, राज्य कर, उ0प्र0,
समस्त अपर आयुक्त ग्रेड–2, राज्य कर, उ0प्र0,
समस्त संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0,
समस्त उपायुक्त, राज्य कर, उ0प्र0,
समस्त सहायक आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0,
समस्त राज्य कर अधिकारी, उ0प्र0।

(वाद अनुभाग) लखनऊ:: दिनांक:: 06 दिसम्बर, 2024

महोदय,

कृपया दिनांक 30.11.2024 को प्रमुख सचिव, राज्य कर, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के मुख्य स्थायी अधिवक्ता एवं अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता के साथ संपन्न बैठक में मा0 उच्च न्यायालय में योजित वादों की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित किये जाने हेतु कतिपय दिशानिर्देश दिये गये हैं :–

1–मा0 उच्च न्यायालय में संस्थित वादों की पैरवी के दौरान तथा कोर्ट में उपस्थित स्थायी अधिवक्ता द्वारा संज्ञानित किया गया है कि राज्य कर विभाग से संबंधित वादों में इन्स्ट्रक्शन मॅगाये जाने पर फील्ड में कार्यरत अधिकारियों द्वारा अपूर्ण इन्स्ट्रक्शन प्रेषित किया जा रहा है। प्रायः उनके द्वारा प्रेषित इन्स्ट्रक्शन में तथ्यों का उपयुक्त समावेश तथा विधिक विवेचना नही हो पा रही है। मा0 न्यायालय के निर्देशों में कई बार इन्स्ट्रक्शन मॅगाने के लिये बेहद कम समय प्राप्त होता है। अतः फील्ड में कार्यरत अधिकारियों द्वारा समयान्तर्गत इन्स्ट्रक्शन प्रेषित कर दिया जाना चाहिये। रिट याचिका में सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले इन्स्ट्रक्शन्स में उन्हीं बिन्दुओं / तथ्यों पर बल दिया जाना चाहिए, जिन बिन्दुओं का उल्लेख व्यापारी द्वारा योजित रिट याचिका / माननीय न्यायालय के अन्तरिम निर्णय में कही गई हो। इन्स्ट्रक्शन विधिक बिन्दुओं के साथ–साथ विशिष्ट (specific) होना चाहिये न कि सामान्य प्रकृति का तथा उल्लिखित तथ्यों से सम्बन्धित अभिलेखों को भी बिन्दुवार संलग्नक के रूप में संलग्न किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में पूर्व में भी परिपत्र संख्या–222 दिनांक 18.05.2023 जारी किया गया है।

2– माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने वाले प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दी गई समयावधि के अन्तर्गत प्रतिवादी/सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाना अनिवार्य रुप से सुनिश्चित किया जाये। सम्बन्धित ज्वाइण्ट कमिश्नर का भी दायित्व होगा कि समयान्तर्गत प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाये। नियत समय के अन्तर्गत प्रतिशपथ पत्र दाखिल न किये जाने पर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा। एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1/ग्रेड–2 (उच्च न्यायालय कार्य) प्रयागराज/लखनऊ मुख्यालय को सूचना उपलब्ध करायेंगे कि उक्त निर्देश के बाद भी कितने मामलों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल नहीं किया जा सका है तथा सम्बन्धित अधिकारी के नाम, पदनाम एवं दाखिल न होने का कारण भी सूचित करेंगे। मा0 न्यायालय के द्वारा जिन प्रकरणों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं, उनमें सम्बन्धित कार्यालय द्वारा प्रकरण में प्रतिपक्षी (रिस्पोडेन्टस) के अतिरिक्त अन्य अधिकारी प्रस्तरवार नैरेटिव व आख्या के साथ स्थायी अधिवक्ता के समक्ष उपस्थित होते हैं, जिनसे प्रकरण के सम्बन्ध में कोई जानकारी उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जाती है, तो उसमें समस्या आती है। अतः निर्देशित किया जाता है कि प्रतिपक्षी(रिस्पोडेन्टस) की सूची से ही कोई अधिकारी उनके कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेगें, जिससे प्रकरण में यदि कोई अतिरिक्त विधिक बिन्दु से सम्बन्धित तथ्य शामिल करना चाहें, तो उसे शामिल कराया जा सके तथा प्रकरण से विधिक बिन्दुओं पर स्थायी अधिवक्ता द्वारा प्रतिपक्षी से चर्चा की जा सके। पूर्व में भी मा0 उच्च न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने के संदर्भ में परिपत्र संख्या–1077 दिनांक 12.06.2021, परिपत्र संख्या–1581 दिनांक 14.03.2022, परिपत्र संख्या–1209 दिनांक 12.01.2023 एवं परिपत्र संख्या–302 दिनांक 31.05.2023 जारी किया गया है।

3–विभागीय मैनुअल के अध्याय–4 में पुनरीक्षण दायर करने की विभागीय प्रकिया (प्रस्तर–3ख) में वर्णित है, जिसके अनुसार जोन से पुनरीक्षण प्रस्ताव उच्च न्यायालय कार्य को कालबाधन तिथि से 45 दिन पूर्व अवश्य प्राप्त कराया जाये। अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया कि फील्ड के अधिकारियों से वांछित सहयोग प्राप्त न होने तथा रिवीजन दाखिल करने में हुये विलम्ब के संबंध में उचित स्पष्टीकरण नही दिये जाने के कारण मा0 उच्च न्यायालय में विभाग का पक्ष प्रबलतापूर्वक रखने में कठिनाई हो रही है। इस संबंध में अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह अपेक्षा की गयी है कि फील्ड स्तर से कोई भी रिवीजन कालबाधन तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व कराया जाये, जिससे की वांछित प्रकियात्मक कार्यवाही समय से पूर्ण कराते हुये मा0 न्यायालय के समक्ष समय से रिवीजन दाखिल किया जा सके। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि Limitation Act की धारा–5 के अनुरुप ही Delay के संबंध में Delay के प्रतिदिवस का तथ्यात्मक स्पष्टीकरण भी दिया जाये। मा0 न्यायालय Delay के संबंध में बहुत Particular हैं। यदि Delay का प्रतिदिवस तथ्यात्मक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नही किया जाता है तो यह भी संभव है कि फील्ड के संबंधित अधिकारी पर मा0 न्यायालय द्वारा प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया जाये। विलम्ब से दाखिल कराई गई पुनरीक्षण याचिकाओं में माननीय न्यायालय के समक्ष सर्वप्रथम विलम्ब क्षमा प्रार्थना पत्र पर ही बहस कराई जाती है, जिससे प्रकरण की

मैरिट पर बहस नहीं हो पाती। कभी–कभी मा0 न्यायालय द्वारा विलम्ब को क्षमा न कर प्रकरण को विलम्ब के आधार पर ही अस्वीकार कर दिया जाता हैं। अतः समयावधि का पूर्ण ध्यान रखा जाये। इस संबंध में पूर्व में भी परिपत्र संख्या–792 दिनांक 08.09.2023 एवं परिपत्र संख्या–1102 दिनांक 10.11.2023 जारी किया गया है।

4– जोनल अपर आयुक्त द्वारा अपने स्तर से समस्त जोनों में पंजीकृत व्यापारियों/कर दाताओं को यू0पी जी0एस0टी0 एक्ट की धारा–169 में तामिली के सम्बन्ध में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरुप दी गयी व्यवस्था से एवं समस्त करदाताओं को अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आई0डी0, जी0एस0टी0 पोर्टल पर सही करने/अपडेट करने हेतु अवगत करा दिया जाये।

प्रमुख सचिव, राज्य कर की अध्यक्षता में दिनांक 30.11.2024 को सम्पन्न हुई बैठक से संबंधित कार्यवृत्त इस आशय से संलग्न कर प्रेषित है कि दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(डा0 नितिन बंसल)
आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. विशेष सचिव, राज्य कर, उत्तर प्रदेश शासन।
2. श्री आलोक त्रिपाठी, मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद।
3. अपर आयुक्त ग्रेड–1/2 (उ0न्या0कार्य), वाणिज्य कर, प्रयागराज/लखनऊ।
4. संयुक्त आयुक्त(आई0टी0), वाणिज्य कर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त को विभागीय वेबसाइट पर समस्त अधिकारियों के सूचनार्थ प्रकाशित करने का कष्ट करें।

06.12.24

संयुक्त आयुक्त(वाद)राज्य कर,
मुख्यालय,लखनऊ।

दिनॉक 30-11-2024 को प्रमुख सचिव, राज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के मुख्य स्थायी अधिवक्ता एवं अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता एवं उच्च न्यायालय प्रयागराज एवं लखनऊ के अधिकारियों के साथ सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्तः-

उपस्थितिः-

1. श्री बृजेश कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव, राज्य कर
2. श्री मनोज तिवारी, संयुक्त निदेशक, मुख्यालय
3. श्री राकेश कुमार गौतम, संयुक्त सचिव, राज्य कर
4. श्री मनोज त्रिपाठी, अपर आयुक्त ग्रेड-2
5. श्री राजेश कुमार, संयुक्त आयुक्त, राज्य कर
6. श्री डी0 के0 वर्मा, संयुक्त आयुक्त, राज्य कर
7. श्री अखिलेश कुमार सिंह, संयुक्त आयुक्त, राज्य कर
8. श्री संतोष कुमार, उपायुक्त, राज्य कर

वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से:

1. श्री आलोक कुमार त्रिपाठी, मुख्य स्थायी अधिवक्ता मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद।
2. श्री निमाई दास, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद
3. श्री वी0के0 पाण्डेय, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद
4. श्री रवि शंकर पाण्डेय, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद
5. श्री अंकुर अग्रवाल, स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद
6. श्रीमती मोनू त्रिपाठी, अपर आंयुक्त ग्रेड-2 उच्च न्यायालय कार्य प्रयागराज

- बैठक की शुरूआत करते हुए स्थायी अधिवक्ता श्री अंकुर अग्रवाल द्वारा यह अवगत कराया गया कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा व्यापारियों से संबंधित विभिन्न रिटों में व्यापारियों के पंजीयन निरस्तीकरण संबंधी आदेश ऑनलाइन प्रेषित किए जाते हैं, जिसमें याची द्वारा मा0 न्यायालय के समक्ष इस बात पर जोर दिया जाता है कि उनका पंजीयन जैसा व्यावसायिक निरस्तीकरण आदेश पारित कर दिया जा रहा है किन्तु उन्हें उसके संबंध में कोई भी सूचना प्रेषित नहीं की जा रही जो कि उनके प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है, जिसके क्रम में मा0 न्यायालय द्वारा ऐसे प्रत्येक मामलों को या तो निरस्त कर दिया जा रहा है या संबंधित को प्रतिप्रेषित कर दिया जा रहा है जिसके क्रम में उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि व्यापारी के पंजीयन निरस्तीकरण आदेश को पंजीकृत डाक से भी उन्हें तामील कराया जाए।

(कार्यवाही-आयुक्त राज्य कर मुख्यालय लखनऊ)

- भारत सरकार के विभिन्न विभागों जैसे आयकर एवं केन्द्रीय जी0एस0टी0 में मा0 उच्च न्यायालयों में विभाग के पक्ष को सुदृढ़ तरीके से रखे जाने हेतु टैक्स लॉ के एक्सपर्ट स्थायी अधिवक्ता होते हैं। उसी प्रकार से राज्य कर विभाग में भी विभागीय

पक्ष को रखे जाने हेतु टैक्स लॉ के एक्सपर्ट स्थायी अधिवक्ता होने चाहिये। अतः आयुक्त राज्य कर को उपरोक्त का परीक्षण कर प्रस्ताव प्रेषित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

(कार्यवाही-आयुक्त राज्य कर मुख्यालय लखनऊ)

- स्थायी अधिवक्ता श्री अंकुर अग्रवाल द्वारा इस बिन्दु पर बल दिया गया कि विभिन्न अधिकारियों द्वारा मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले इंस्ट्रक्शन्स में उन्हीं बिन्दुओं पर बल दिया जाता है, जिन बिन्दुओं का उल्लेख कर व्यापारी द्वारा रिट याचिका योजित की गई। इंस्ट्रक्शन्स में विधिक बिन्दुओं के साथ-साथ बिन्दुवार उल्लेख किया जाना आवश्यक है तथा उल्लिखित तथ्यों से संबंधित अभिलेखों को भी बिन्दुवार संलग्नक के रूप में होना चाहिये।

(कार्यवाही-आयुक्त राज्य कर मुख्यालय लखनऊ)

- मा0 न्यायालय के द्वारा जिन प्रकरणों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किए जाने के आदेश पारित किए जाते हैं उनमें संबंधित कार्यालय द्वारा प्रकरण में प्रतिपक्षी (रिस्पॉन्डेन्टस) के अतिरिक्त अन्य अधिकारी प्रस्तरवार आख्या एवं नैरेटिव के साथ यहाँ उपस्थित होते हैं जिनसे यदि प्रकरण के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जाती है तो उसमें समस्या आती है इससे यह अनुरोध किया गया है कि प्रतिपक्षी /(रिस्पॉन्डेन्टस) की सूची से ही कोई अधिकारी यहाँ पर उपस्थित होना चाहिये इससे प्रकरण में यदि कोई अतिरिक्त बिन्दु विधिक बिन्दुओं से संबंधित शामिल करना चाहिए तथा उसे शामिल किया जा सके तथा प्रकरण के विधिक बिन्दुओं पर चर्चा की जा सके।

(कार्यवाही-आयुक्त राज्य कर मुख्यालय लखनऊ)

- पुनरीक्षण के संबंध में अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि पुनरीक्षण याचिका विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि 90 दिन के अंदर ही उनको पुनरीक्षण दाखिल किए जाने हेतु उपलब्ध करायी जाए। विलम्ब से दाखिल करायी गयी पुनरीक्षण याचिकाओं में मा0 न्यायालय के समक्ष सर्वप्रथम विलम्ब क्षमा प्रार्थना पत्र पर ही बहस कराई जाती है जिससे प्रकरण की मैरिट पर बहस नहीं हो पाती, कभी -कभी मा0 न्यायालय द्वारा विलम्ब को क्षमा न कर प्रकरण को विलम्ब के आधार पर ही अस्वीकार कर दिया जाता है। अतः समयावधि का पूर्ण ध्यान रखा जाए।

(कार्यवाही-आयुक्त राज्य कर मुख्यालय लखनऊ)

- स्थायी अधिवक्ता श्री अंकुर अग्रवाल द्वारा यह अवगत कराया गया कि फर्म सर्वश्री नार्दर्न फूड के धारा-130 के आदेश के विरूद्ध व्यापारी द्वारा मा0 न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दाखिल की गयी है। प्रकरण में 300 करोड़ से अधिक का राजस्व निहित है किन्तु विभाग द्वारा उक्त संबंध में विभागीय रिट योजित किए जाने के

संबंध में कोई कार्यवाही उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त के संबंध में अपर आयुक्त ग्रेड-1 मुरादाबाद को प्रकरण के संबंध में समस्त तथ्यों सहित आख्या आज ही उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया ।

(अपर आयुक्त ग्रेड-1 मुरादाबाद)

- उच्च न्यायालय कार्य प्रयागराज एवं लखनऊ के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आगामी बैठक में कोर्टवार एवं काउंसिलवार सूचीबद्ध कर वादों की सूची सहित उपस्थित हों तथा जिन मामलों में मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में यदि कोई भी कार्यवाही विभागींय स्तर पर लम्बित है तो उसका विवरण प्रस्तुत किया जाए।

(कार्यवाही-अपर आयुक्त ग्रेड-1 उच्च न्यायालय कार्य प्रयागराज एवं अपर आयुक्त ग्रेड-2 उच्च न्यायालय कार्य लखनऊ)

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

Signed by
Shyam Prakash Narain
Date: 04-12-2024 19:08:...

(श्याम प्रकाश नारायण)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2
संख्या:1513/11-2-2024
लखनऊ : दिनॉक:05 दिसम्बर,2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ।
3- निजी सचिव, विशेष सचिव, राज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, राज्य कर अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्याम प्रकाश नारायण)
विशेष सचिव।